बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दशानिर्देश भी जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों को पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एव रियायतों को स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमान्त धनराशि योजना" शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुनःस्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/- से बढ़ा कर 50,000/- रुपये कर दिया गया है।

(6) कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद राहत योजना की भी घोषणा की गयी है। यह योजना किसी भी एकक पर लागू होगी जिसमें पिछले किसी भी पांच लेखा वर्षों में अधिकतम निवल मूल्य 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संचित हानियों द्वारा कम हुआ है। उक्त एकक का पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशांतरण सम्बन्धी पैकेज निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण पाने का हकदार होगा जिसके लिए राहत अवधि 3 वर्ष होगी और इसे 7 वर्षों के भीतर अदा करना होगा जो इस योजना के स्वीकृत होने के बाद 3 वर्षों के लिए इसके वास्तविक उत्पाद भुगतानों का 50 प्रतिशत होगा। दिये गये ऐसे "उत्पाद ऋणों" की कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशांतरण की कुल लागत से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(7) इस वर्ष अप्रैल में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गयी है जो अत्यन्त लघु और लघु उद्योगों के लिए एक एपेक्स बैंक के रूप में कार्य करेगा। इस बैंक की प्राधिकृत पूंजी 250 करोड़ रुपये होगी, इसे आई०डी०बी०आई० द्वारा दिया जायेगा।

*1987 से आगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गयी रुग्णता की परिभाषा के अनुसार गैर लघु औद्योगिक एककों के अन्तर्गत मझोले रुग्ण उद्योग भी शामिल हैं।

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के अन्तर्गत औषधि कंपनियों से वसूल की जाने वाली राशि

2251. श्री बलराम सिंह यादव : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 79 के अन्तर्गत सरकार को देय राशि अभी भी कई औषध निर्माताओं पर बकाया है;

(ख) यदि हां, दो वर्ष 1989-90 के अन्त में ऐसी कुल कितनी राशि बकाया थी और क्या सरकार ने इस राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अस्थाई रूप से निर्धारित राशियों और अब तक कंपनियों द्वारा जमा की गयी राशियों के ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न है।

[*See* Appendix CLV, Annexure No. 80]